

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

ओदश

यह पत्रावली बमुकाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादीगण को दिनांक 22.04.2014 से लगातार प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड नॉटिस एवं तलबाना प्रस्तुत करने का समूचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की गई है एवं न्यायालय का अनावश्यक समय बर्बाद किया गया है। वादीगण ने उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की रूची नहीं ली और न ही प्रकरण को निपटाने में न्यायालय का सहयोग किया गया है। इस प्रकार वादीगण ने आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन किया गया है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने पर आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल-सुमार होकर दाखिल दफ़तर हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

05.06.2018

